



Neutral Citation No.- 2026:AHC:13684

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-15383 वर्ष 2024

माया देवी

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक की ओर से यह दूसरी जमानत याचिका है। पहले आदेश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 6.2.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। 2021 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-50891 में पारित किया गया था।
4. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-108 वर्ष 2018 में धारा 302 और 201 भ०द०वि०, थाना-पहाड़ी, जिला: चित्रकूट के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि एक नए आधार के रूप में, यह कैद की अवधि है जिस पर आवेदक जमानत का हकदार है क्योंकि वह 13.07.2018 से जेल में है और उसकी कैद के बाद से साढ़े सात साल बीत चुके हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, ए.आई.आर. 2021 एस.सी. 712** में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर बहुत भरोसा किया गया है। निर्णय के प्रस्तर-16 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"इस न्यायालय ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता को इसके सुरक्षात्मक दायरे में कवर करेगी, बल्कि न्याय तक पहुंच और त्वरित सुनवाई भी शामिल करेगी। उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक सहायता समिति बनाम विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक सहायता समिति ने मामले में यह निर्णय लिया है। भारत सरकार ने यह व्यवस्था दी थी कि विचारणाधीन कैदियों को विचारण लंबित रहने तक अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणाम भुगतने नहीं चाहिए जब तक कि इसे एक तटस्थ मध्यस्थ के सामने स्थापित नहीं किया जाता है। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकता के कारण जहां एक प्रभावी परीक्षण को सुरक्षित किया जा सकता है और एक संभावित अपराधी को बड़े पैमाने पर लंबित मुकदमे में छोड़ दिया जाता है, तो समाज के लिए जोखिम को कम करने के लिए, अदालतों को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे के लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और अभियुक्त को एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए कैद का सामना करना पड़ा है, तो अदालतें आमतौर पर उन्हें जमानत पर बढ़ाने के लिए बाध्य होंगी।

7. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है।



8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 14.11.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, मामले को अंतिम बहस के लिए तय किया गया है।

9. सर्वोच्च न्यायालय ने 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909 के मामले में माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

10. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परीक्षण लगभग अपने तार्किक अंत पर है, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

11. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)